

कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ़)

C.C NO. - 272/04-05

अभिलेख उपस्थापित।

पति-रामा लाल S.B.I, कृष्ण स्वारा श्रीमती इलसी देवी के पता बंकापुरा के विरुद्ध राशि मो 22,207/- (बाइस हजार दो सौ मात्र रुपये) वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 827 दिनांक 19/07/24 द्वारा शाखा प्रबंधक S.B.I, कृष्ण को पंजी IX से X के मिलान हेतु पत्र दिया गया, परन्तु इतने पत्रों के बाद भी उनके द्वारा पंजी IX एवं X के मिलान हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस कारण IX से X का मिलान नहीं हो पाया। फलस्वरूप यह नहीं पता चल पाया कि बकायेदार पर कितना राशि बकाया है तथा कितना वसुल की गई है। इस कार्यालय संबंधित कार्यवाहक लिपिक अद्योहस्ताक्षरी के निदेश पर रजिस्टर IX से X से मिलान हेतु संबंधित बैंक में भेजा गया, परन्तु बैंक की किसी कर्मि द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अभिरुचि नहीं ली गई है। जिस कारण पंजी IX से X का मिलान नहीं हो पाया। बकाया राशि का अद्यतन राशि की जानकारी नहीं हो पायी।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष की अभिरुचि नहीं लेने एवं निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन करने तथा वाद का काफी दिनों से लंबित रहने के कारण इस वाद को स्थगित किया जाता है।

इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, S.B.I, कृष्ण /LDM, रामगढ़ तथा मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को दें।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी
—सह—
निलाम पत्र पदाधिकारी
माण्डू